



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03072026-274032
CG-MH-E-03072026-274032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3313]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3313]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 24 जून, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 1159 dated 09-03-2026 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 3447(अ). — केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में "मनमाड-जलगांव 4th लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) यू.टी.पी.एच., जलगांव महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार पर उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना "मनमाड-जळगाव 4th लाईन" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गावाचे नाव	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	सर्वेक्षण संख्या	जमीन प्रकार	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	06/26	निंभोरा	भडगांव	पिताबर धर्मा शिंदे	224	I	2.74	0.65
2				रवींद्र धर्मा शिंदे	223	I	3.83	0.75
3				दिलीप नामदेव पाटील	219/2/अ	I	1.52	0.56
4				राजाराम हिंममत पाटील	214/3	I	0.81	0.15
5				सुनिताबाई पुडलिक पाटील व अमोल पुडलिक पाटील	214/2	I	0.54	0.11
6				स्वप्निल भरतसिंग पाटील	214/2	I	0.27	0.053
7				स्वप्निल भरतसिंग पाटील	214/1/अ	I	0.20	0.053
8				स्वप्निल भरतसिंग पाटील मोहीत वासुदेव अरोडा	214/1/अ	I	0.80	0.187
9				मधुमती प्रणय भांडारकर ज्योतीबाला प्रदिप सुराणा, प्रदिप भागचंद सुराणा	214/1/ब	I	0.95	0.22
10				प्रमिलाबाई अशोक पाटील	215/1	I	2.18	0.58
11				नारायण सुपडु पाटील बाळाबाई सुपडु पाटील	208/2	I	1.39	0.30
12				संदिप सुपडु पाटील	208/1	I	1.38	0.32
13				सौ नादरबाई चंद्रकांत पाटील व इतर	207/1	I	0.81	0.34
14				कासुबाई डिंगबर पाटील	207/2	I	1.01	0.34

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गावाचे नाव	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	सर्वेक्षण संख्या	जमीन प्रकार	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
15				नीलिमा कैलाश लढे अर्णव पंकज सोनी अ. पा. क. पंकज चंद्रकुमार सोनी	198/1 198/2	I	1.83 1.85	0.81
16				सहादू बाजीराव पाटील, वैजयंताबाई कौतिक पाटील, जिजाबाई उत्तम पाटील	197/1	I	1.50	0.61
					कुल		23.61 (हे.आर.)	6.033 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/MMR-JL4th/Nimbhora Vlg/Bhadgaon Tq/Corrigendum/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 24th June, 2026

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 1159 dated 09-03-2026, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3447(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Manmad-Jalgaon 4th line**” in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (1) UTPH, Jalgaon** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of
“Manmad-Jalgaon 4th line” in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

S. N.	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Name of Land Holder as per 7/12 Extracts	Survey No./ Gutt No.	Land Holding Method	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	06/26	Nimbhora	Bhadgaon	Pitamber Dharma Shinde	224	I	2.74	0.65
2				Ravindra Dharma Shinde	223	I	3.83	0.75
3				Dilip Namdev Patil	219/2/A	I	1.52	0.56
4				Rajaram Himmat Patil	214/3	I	0.81	0.15
5				Sunitabai Pundalik Patil & Amol Pundalik Patil	214/2	I	0.54	0.11
6				Swapnil Bharatsing Patil	214/2	I	0.27	0.053
7				Swapnil Bharatsing Patil	214/1/A	I	0.20	0.053
8				Swapnil Bharatsing Patil Mohit Vasudev Aroda	214/1/A	I	0.80	0.187
9				Madhumati Pranay Bhandarkar, Jyotibala Pradip Surana, Pradip Bhagchand Surana	214/1/B	I	0.95	0.22
10				Pramilabai Ashok Patil	215/1	I	2.18	0.58
11				Narayan Supadu Patil Balabai Supadu Patil	208/2	I	1.39	0.30
12				Sandip Supadu Patil	208/1	I	1.38	0.32
13				Mrs. Nadarbai Chadrakant Patil and other	207/1	I	0.81	0.34
14				Kasubai Digambar Patil	207/2	I	1.01	0.34
15				Nilima Kailash Ladhe, Arnav Pankaj Soni A.P.K. Pankaj Chadrakumar Soni	198/1 198/2	I	1.83 1.85	0.81
16				Sahadu Bajirao Patil, Vaijayantabai Kautik Patil, Jijabai Uttam Patil	197/1	I	1.50	0.61
						Total	23.61 (Ha.)	6.033 (Ha.)

[F. No. G197/MMR-JL4th/Nimbhora Vlg/Bhadgaon Tq/Corrigendum/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)